रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092021-229730
CG-DL-E-16092021-229730

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 16, 2021/भाद्र 25, 1943
No. 523] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 16, 2021/BHADRA 25, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2021

सं. 51/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 637(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "एल्यूमीनियम फोइल" (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक 7607 के अंतर्गत आता है, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अधिसूचना संख्या 6/21/2020-डीजीटीआर, दिनांक 18 जून, 2021, जिसे दिनांक 18 जून, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत, अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत वस्तु का निर्यात विषयगत देश से भारत को इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया था;

(ii) इन विषयगत देशों से इस विषयगत वस्तु के आयात के कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) यह सारवान क्षति विषयगत देशों से विषयगत वस्तु के फालतू आयात के कारण हुई है;

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत:, अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, उक्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्द्वारा, विषयगत वस्तु, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों में मूलत: उत्पादित है, कॉलम (5) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों से उत्पादित है और भारत में आयातित है, पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से, कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा -

सारणी

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7607	*एल्युमीनियम फोइल, 80 माइक्रोन या इससे कम के	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	जिआंग्सू झोंगजि लेमिनेशन मटेरियल्स कं.लि.	506.81	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
2.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	शंघाई सनहो एल्यूमिनियम फोइल कं, लिमिटेड	398.45	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
3.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	जियांग्सू डिंग्शेंग न्यू मैटेरियल्स ज्वाइंट स्टॉक क. लि.	523.67	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
4.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	हांग्जो फाइव स्टार एल्युमिनियम कं, लिमिटेड	523.67	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
5.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	मेसर्स जिआंगसु फेंगयुआन एल्युमिनियम एमस्टार टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड,	510.24	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
6.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	मैसर्स कुशन एल्युमिनियम कं, लिमिटेड	577.59	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
7.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य	चीन जनवादी गणराज्य समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 1 से 6 में उल्लिखित से भिन्न अन्य कोई उत्पादक	976.99	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

क्र.सं.	शीर्षक	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	-तदैव-	-तदैव-	जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से भिन्न कोई भी देश	चीन जनवादी गणराज्य	कोई भी	976.99	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
9.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	थाई डिंग ली न्यू मटेरियल्स कं, लिमिटेड	100.07	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
10.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	डिंगहेंग न्यू मटेरियल्स कं, लिमिटेड	100.07	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
11.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	मेसर्स लॉफ्टन (थाईलैंड) कं, लिमिटेड	93.53	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
12.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	मेसर्स वरोपाकोर्न पब्लिक कंपनी लिमिटेड	178.47	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
13.	-तदैव-	-तदैव-	थाईलैंड	थाईलैंड समेत कोई भी देश	क्रम संख्या 9, 10, 11 और 12 में उल्लिखित से भिन्न कोई भी उत्पादक	339.93	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
14.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से भिन्न कोई भी देश	थाईलैंड	कोई भी	339.93	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
15.	-तदैव-	-तदैव-	मलेशिया	कोई भी देश	कोई भी	850.45	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
16.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से भिन्न कोई भी देश	मलेशिया	कोई भी	850.45	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
17.	-तदैव-	-तदैव-	इंडोनेशिया	कोई भी देश	कोई भी	422.28	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर
18.	-तदैव-	-तदैव-	चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से भिन्न कोई भी देश	इंडोनेशिया	कोई भी	422.28	मीट्रिक टन	अमेरिकी डॉलर

* एल्युमीनियम फोइल, चाहे वे प्रिंटेड या पेपर, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक्स या इसी प्रकार की पैकिंग सामग्री से बैक्ड हो अथवा नहीं, जिनकी मोटाई 80 माइक्रोन या इससे कम हों (अनुज्ञेय सहिष्णुता तक), जिसमें निम्नलिखित नहीं आते हैं:

(i) एल्युमीनियम फोइल जिनकी मोटाई 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक हो और जिनका उत्पादन चीन में हुआ हो।

(ii) एलु एलु लेमिनेट – 40-50 माइक्रोन के एलु एलु लेमिनेट, जो AA8079 और AA8021 के अंतर्गत आते हैं, एक ऐसा बहु सतह वाले अर्द्ध पारदर्शी हैं जो कि एल्युमीनियम से लेमिनेट होते हैं और इनके दोनो ओर प्लास्टिक फिल्म चिपकाई गई होती है; इनका उपयोग कैप्सूल/टेबलेट्स की पैकिंग में किया जाता है।

(iii) अल्ट्रा लाइट गेज कंवर्टेड - अल्ट्रा लाइट गेज कंवर्टेड ऐसा एल्युमीनियम फोइल है जिसकी मोटाई 5.56 माइक्रोन से 7 माइक्रोन तक होती है जिस पर क्राफ्ट पेपर और स्क्रिम या ग्लास क्लोथ चिपकाया गया होता है, चाहे ये सादे हों या प्रिंटिंड, और इनका उपयोग इंसुलेशन, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन्स कवरिंग और टी-बैग्स में होता है।

(iv) एल्युमीनियम फोइल कम्पोजिट- एल्युमीनियम फोइल जो कि क्राफ्ट पेपर और ग्लास स्क्रीम या ग्लास क्लोथ से लेमिनेटेड हों या बैक्ड हों, चाहे इसमें पॉली एथिलीन हो या नहीं, चाहे ये प्रिंटिड हो या नहीं। हालांकि क्राफ्ट पेपर से लेमिनेटेड या बैक्ड एल्युमिनियम फोइल को विचारार्थ उत्पादों और प्रस्तावित उपायों के दायरे में रखा गया है।

(v) कैपसिटर्स में काम आने वाले एल्युमीनियम फोइल, जिनकी चौड़ाई 500 मिली मीटर से कम हों – कैपसिटर्स में काम आने वाले एल्युमीनियम फोइल जो कि 5 माइक्रोन गेज के हों, जिनकी चौड़ाई 500 मिली मीटर से कम हों, जिनकी शुद्धता 99.35% हों, जो कि इलेक्ट्रिकल उपकरणों जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, कम्प्यूटर, माइक्रोवेव ओवेन, इलैक्ट्रिकल वैल्डर्स, मैग्निटोस, इलैक्ट्रोनिक टेस्टिंग उपकरण, कॉपी मशीन, एयर कंडीशनर, ऑटोमोबाइल्स, फ्लोरोसेंट लाइट्स, मरकरी वेपर स्ट्रीट लैम्पस्, पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, इलैक्ट्रिक मोटर्स, कंट्रोल यूनिट्स और इसी प्रकार की वस्तुओं में प्रयोग किए जाते हैं।

(vi) ईच्ड अथवा फॉर्म्ड एल्युमीनियम फोइलस : ईच्ड अथवा फॉर्म्ड एल्युमीनियम फोइलस ऐसे एल्युमीनियम फोइलस होते हैं जिनका प्रयोग इलेक्ट्रोलाइटिक कैपसिटर्स के निर्माण में किया जाता है।

(vii) एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल - एल्युमीनियम कम्पोजिट पैनल ऐसा नॉन – एल्युमीनियम कोर (प्राय: जिसे पीई कहा जाता है) होता है जो कि एल्युमीनियम की दो पतली सतहों के बीच बंधा होता है। इसका प्रयोग फेकेड क्लेडिंग और साइनेज में किया जाता है।

(viii) क्लेड विद कम्पेटिबल नॉन क्लैड एल्युमीनियम फोइल: क्लैड विद कम्पेटिबल नॉन क्लैड एल्युमीनियम फोइल एक क्षरणरोधी एल्युमीनियम शीट होता है जो कि धातु विज्ञान की सहायता से एल्युमीनियम की सतह से बनाया जाता है, जिसे बहुत ही मजबूत एल्युमीनियम एलोय कोर पदार्थ से बंधा गया होता है। जिसका उपयोग इंजन की कूलिंग में और और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के एयर कंडीशनर सिस्टम में किया जाता है, जैसे कि रेडिएटर, कंडेंसर, ईवौपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर।

(ix) बीयर बोतल का एल्युमीनियम फोइल- एल्युमीनियम फोइल जो कि 10.5 माइक्रोन के हों, जिनकी सतह खुरदरी या छिद्र युक्त हों, चाहे ये प्रिंटेड हों या नहीं, जिनका उपयोग बीयर बोतल में किया जाता हो।

(x) एल्युमीनियम – मैंगनीज – सिलिकॉन आधारित/या क्लैड एल्युमीनियम-मैंगनीज-सिलिकॉन आधारित एलॉय, चाहे ये क्लैड हों या नहीं, जिनकी पोस्ट ब्रेजिंग यील्ड स्ट्रेंथ 35 MPA से अधिक हो, जो कि टैरिफ शीर्षक 7607 के अंतर्गत आती हो, जिनका प्रयोग हीट एक्सचेंजर्स, जिनमें रेडिएटर्स, चार्ज एयर कूलर्स, कंडेनशर्स, ऑयल कूलर्स, हीट कोर्स, इवैपोरेटर्स, हीट वेंटिलेशनस् और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स और उनके कलपुर्जे आते हैं, में किया जाता है।

(xi) एल्युमीनियम फोइल एढेसिव टेप्स – ऐसा एढेसिव टेप्स एल्यूमीनियम फोइल (जो कि 80 माइक्रोन से कम हो) जिसकी एक या दोनों तरफ एढेसिव की कोट की गई हो और जिनका उपयोग टेप के रूप में किया जाता हो।

(xii) कलर कोटेड एल्युमीनियम फोइल – एल्युमीनियम फोइल जिस पर या तो पीई (पोलिएस्टर) की या पीवीडीएफ (फ्लोरिन कार्बन) की कोटिंग की गई हो, जो कि CTH 7607 के अंतर्गत आता है।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक (यदि इससे पहले इसे वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है, या इसमें संशोधन नहीं होता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी।

[फा. सं. सीबीआईसी 190354/169/2021-टीओ (टीआरयू-I)-सीबीईसी]

राजीव रंजन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2021

No. 51/2021-Customs (ADD)

G.S.R. 637(E).—Whereas in the matter of 'Aluminium Foil' (hereinafter referred to as the subject goods) falling under chapter heading 7607 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from China PR, Malaysia, Thailand and Indonesia (hereinafter referred to as the subject countries), and imported into India, the designated authority in its final findings *vide* notification number 6/21/2020-DGTR, dated the 18th June, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 18th June, 2021, has come to the conclusion that the-

(i) subject goods have been exported to India from the subject countries below normal values;

(ii) domestic industry has suffered material injury on account of imports of subject goods from subject countries;

(iii) material injury has been caused by the dumped imports of subject goods from the subject countries,

and has recommended imposition of an anti-dumping duty on the imports of subject goods, originating in, or exported from the subject countries and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under Chapter heading of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the countries as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), in the currency as specified in the corresponding entry in column (9) and as per unit of measurement as specified in the corresponding entry in column (8), of the said Table, namely:-

TABLE

Sr. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	7607	Aluminium Foil 80 micron and below*	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd	506.81	MT	USD
2.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd	398.45	MT	USD
3.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co., Ltd.	523.67	MT	USD
4.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Hangzhou Five Star Aluminium Co., Ltd	523.67	MT	USD
5.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	M/s Jiangsu Fengyuan Aluminium Mstar Technology Co., Ltd.,	510.24	MT	USD
6.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	M/s Kunshan Aluminium Co., Ltd.	577.59	MT	USD
7.	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Any producer other than mentioned in serial no 1 to 6	976.99	MT	USD
8.	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand	China PR	Any	976.99	MT	USD
9.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Thai Ding Li New Materials Co., Ltd.	100.07	MT	USD
10	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Dingheng New Materials Co., Ltd	100.07	MT	USD
11.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	M/s Loften (Thailand) Co., Ltd.	93.53	MT	USD
12.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	M/s Varopakorn Public Company Limited	178.47	MT	USD

Sr. No.	Heading	Description	Country of origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	-do-	-do-	Thailand	Any country including Thailand	Any producer other than mentioned in sl. No. 9, 10, 11, 12	339.93	MT	USD
14.	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand	Thailand	Any	339.93	MT	USD
15.	-do-	-do-	Malaysia	any country	Any	850.45	MT	USD
16.	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand	Malaysia	Any	850.45	MT	USD
17.	-do-	-do-	Indonesia	any country	Any	422.28	MT	USD
18.	-do-	-do-	Any country other than China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand	Indonesia	Any	422.28	MT	USD

*Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible tolerances)" excluding the following:

(i) Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micron originating in China.

(ii) Alu Alu Laminate- Alu Alu Laminate of 40 - 50 mic in AA8079 & AA8021, is a multi-layered opaque laminate where Aluminium foil and is backed with plastic film on both side with adhesives; for use in packing capsules/tablets.

(iii) Ultra Light Gauge Converted- Ultra Light Gauge Converted is an Aluminium foil having thickness of 5.5 6 mic to 7 mic which and is backed with kraft paper & scrim, or glass cloth, whether plain or printed for use in insulation, spices packing, thermal fluid lines covering and tea bags application.

(iv) Aluminium Foil Composite- Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper and glass scrim or glass cloth with or without poly ethylene, whether printed or not printed. Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper however is within the scope of the product under consideration and proposed measures.

(v) Aluminium foil for capacitors width below 500 mm- Aluminium foil for capacitors is an Aluminium foil of 5 micron gauge with width below 500 mm 99.35% purity, for use in electrical equipment such as radios, televisions, telephones, computers, microwave ovens, electrical welders, magnetos, electronic testing equipment, copy machines, air conditioners, automobiles, fluorescent lights, mercury vapour street lamps, power transmission equipment, electric motors, control units, and similar articles.

(vi) Etched or formed Aluminium Foils- Etched or formed Aluminium Foils is Aluminium Foil meant to be used in the manufacture of Electrolytic Capacitor.

(vii) Aluminium composite panel- Aluminium composite panel is a non-aluminium core (often PE) bonded between two thin layers of aluminium, for use in facade cladding and signage.

(viii) Clad with compatible non clad Aluminium Foil- Clad with compatible non clad Aluminium Foil is a corrosion-resistant Aluminium sheet formed from Aluminium surface layers metallurgically bonded to high-strength Aluminium alloy core material for use in engine cooling and air conditioner systems in automotive industry; such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater.

(ix) Aluminium Foil for beer bottle- Aluminium Foil of 10.5 micron with rough surface and perforated whether printed or not; to be used in beer bottle.

(x) Aluminium- Manganese- Silicon based and/ or clad Aluminium- Manganese- Silicon based alloys, whether clad or unclad- with post brazing yield strength greater than 35 MPA, falling under tariff heading 7607 for use in heat exchangers including radiators, charge air coolers, condensers, oil coolers, heater cores, evaporators, heat ventilation and air conditioning (HVAC) systems and parts thereof.

(xi) Aluminium Foil Adhesive Tapes - Adhesive tape is Aluminium foil (< 80 mic) single side or both sides coated with adhesive for use as tape.

(xii) Color coated aluminium foil - aluminium foil with either PE(polyester) coating of PVDF(flourine Carbon), coating falling under CTH 7607.

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be effective for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette, and shall be payable in Indian currency.

***Explanation.* -** For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purposes of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190354/169/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

RAJEEV RANJAN, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.09.16 22:52:42 +05'30'